## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
## पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियॉ आर.ए.एस

**अपील सं0 75/2022**
**आरसीएमएस नं. 2022/75**

रमेश कुमार बनाम धर्मपाल जाति सिंधी निवासी सुरेशिया तहसील व जिला हनुमागनढ (राज0) – अपीलांट/अप्रार्थी सं0 3

बनाम

1. सुरेन्द्र कौर पत्नी श्री जोगेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर हाल आबाद सिविल लाईन हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ। –रेस्पोडेण्ट/प्रार्थीया
2. तहसीलदार (राजस्थान) संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. सार्वजनिक निर्माण विभाग संगरिया द्वारा अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। – रेस्पोडैन्ट/अप्रार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट
विरूद्व निर्णय दिनांक 29.03.2022
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
प्रकरण संख्या 80/2018 बअनवान सुरेन्द्र कौर बनाम तहसीलदार आदि

श्री राजेश कुमार छिम्पा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2, 3

**निर्णय** दिनांक – 30.9.22

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251 –ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि उसकी चक 19 एमकेएस में कुल 1.518 है0 भूमि है। उसकी भूमि में कोई वैध एवं स्वीकृत रास्ता नही है। मुरब्बा नं0 31 के किला नं. 16 में कुछ भूमि सरकारी भूमि है जो किसी की नहीं होने का कथन करते हुए इस भूमि में

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.06.2017 को खारिज किया जिसकी अपील संख्या 316/2017 राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष पेश हुई। राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ ने प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम 1955) के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू अभिलेख निरीक्षक या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृत करने के सबंध में रास्ता संबंधी मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त प्रश्नगत रास्ता से प्रभावित काश्तकारों को बतौर पक्षकार संयोजित किया जाकर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। विचारण न्यायलाय में प्रकरण रिमाण्ड होने पर विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कतई गलत व विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। तहसीलदार राजस्व संगरिया से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि रेस्पो0 सं0 1 प्रार्थीया को प्रार्थीया के खेत के लिए निकटतम दूरी हेतु चक 19 एमकेएस के मु0 नं0 31 के किला नं. 15, 17 में से गुजरती सड़क "सी" मार्क स्थिति अनुसार मुरब्बा नं. 34 के नीचे चक 20 एमकेएस के प. नं. 150/236 के किला नं. 1 में गुजरता हुआ रास्ता सुविधाजनक स्थिति में था उक्त रास्ता के पास रेस्पोडेण्ट सं0 1 का रकबा भी ज्यादा होने के कारण वहां पर रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा तहसीलदार संगरिया द्वारा की गई थी मगर विचारण न्यायालय ने जबरन अपीलाण्ट की कृषि भूमि में रास्ता स्वीकृत कर दिया। प्रकरण रिमाण्ड होने के आदेश में स्पष्ट निर्देश थे कि प्रश्नगत रास्ते से प्रभावित काश्तकारों को बतौर पक्षकार संयोजत किया जाकर उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के निर्देश थे इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त प्रभावित पक्षकारों को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.03.2022 को प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पर बहस सुनी उसी दिन मूल प्रार्थना–पत्र पर बहस सुने बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। रेस्पोडेण्ट के लिए सुविधाजनक व नजदीक का रास्ता प. नं. 149/234 (31) के किला नंबर 15 में भी स्वीकृत करने का विकल्प था एवं मु.नं. 31 में प्रार्थीया का किला नं0 16 व 25 में 1/2 हिस्सा है जो किला नं0 15 से चिपता है। किला नं0 15 के काश्तकार को भी अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया। उक्त तथ्यों को भी विचारण न्यायालय ने नजरअंदाज किया है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपने क्रॉस आब्जेक्शन में

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मिथ्या कथन किये हैं। वस्तुतः प. नं. 149/234 के किला नं. 16 में मुझ अपीलांट के नाम जो रकबा गलत दर्ज है के संबंध में पृथक से ववादपत्र अनवानी रमेश कुमार बनाम अधिशाषी अभियंता प्रकरण सं0 136/13 सहायक कलक्टर संगरिया के यहां विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त इसी प. नं. 149/234 (31) के किला नं. 16 के रकबे के संबंध में शिकायत माननीय जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ के समक्ष हुई थी जिसमें विस्तृत जांच के बाद व रिपोर्ट प्राप्ति के बाद उक्त कार्यवाही का निस्तारण हुआ था जिसमें रकबा गलत दर्ज होने संबंधी उल्लेख है। उक्त कमेटी में भी अपीलांट को सक्षम न्यायालय से रिकार्ड दुरूस्त करवाने हेतु निर्देश दिया था। रेस्पोडेण्ट का क्रॉस आब्जेशन खारिज किया जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प. नं. 149/234 के किला नं. 16 में .126 है0 भूमि रेस्पोडेण्ट सं0 1 की है व किला नं. 16 की उत्तरी दिशा में सड़क व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 कृषि भूमि व सड़क के बीच सरकारी जगह है तथा किला नं. 16 में 8 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में किसी के भी नाम नहीं होने से यह भूमि राज्य सरकार की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में रास्ता की एवज में दी जाने वाली राशि को अपीलांट/अप्रार्थी सं0 3 को दिये जाने के आदेश दिये हैं जो कतई गलत है उक्त राशि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 को दी जानी न्यायोचित है। अपीलांट के नाम प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दू को नजरअंदाज कर उक्त राशि कतई गलत व विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाण्ट को दिये जाने के आदेश पारित किये हैं। इस हक तक रेस्पोडेण्ट का क्रॉस आब्जेक्शन स्वीकार किया जावे। रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं होने के कारण विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया है। रास्ता स्वीकृत करने के आदेश तक आदेश विधि सम्मत है परन्तु रास्ता की एवज में दी जाने वाली राशि का भुगतान अपीलाण्ट को किये जाने की हद तक निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2019 (1) डीएनजे राज पेज 113, आरआरटी 2019(2) पेज 1098, आरआरटी 2012(1) पेज 196 का न्यायिक दृष्टान्त एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग का परिपत्र दिनांक 14.06.2013 पेश किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा चक 19 एमकेएस के मु. नं. 31 के किला नं. 16 में हनुमानगढ संगरिया मुख्य मार्ग से किला नं. 16 के उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम 16 फुट चौड़ा एवं 33 फुट लम्बा रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 –ए के अन्तर्गत स्वीकृत किया है। राजस्थान कातश्कारी अधिनिमय की धारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

251–ए के अन्तर्गत रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व रास्त के परम आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ता एवं निकटतम रास्ते के बिन्दूओं को देखा जाना है। बहस में आये तथ्यो के अनुसार रेस्पोडेण्ट के समक्ष भूमि के लिए सुविधाजनक व नजदीक का रास्ता पत्थर नं. 149/234 (31) के किला नं. 15 में भी रास्ता स्वीकृत करने का विकल्प था जिस पर विचारण न्यायालय ने विवेचन नहीं किया है एवं किला नं. 15 के काश्तकार को पक्षकार नहीं बनाया, जिससे प्रार्थीया का रकबा चिपता हुआ है तथा क्रॉस आब्जेक्शन में उठाये गये बिन्दू कि सड़क व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 कृषि भूमि व सड़क के बीच सरकारी जगह है तथा किला नं. 16 में 8 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में किसी के भी नाम नहीं होने से यह भूमि राज्य सरकार की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में रास्ता की एवज में दी जाने वाली राशि को अपीलांट/अप्रार्थी सं0 3 को दिये जाने के आदेश दिये हैं जो कतई गलत है उक्त राशि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 को दी जानी न्यायोचित है जबकि अपीलाण्ट ने इस भूमि को अपनी भूमि बताया है एवं राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होना बताया है जिसका वाद भी सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी संगरिया में विचाराधीन होना बताया है। उक्त बिन्दूओं पर भी साक्ष्य उपरान्त विवेचन कर निर्णय किया जाना अपेक्षित है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.03.2022 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

8. अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.9.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/9/22

( करतार सिंह पूनिया )
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)